Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LV (55), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पंचायती राज में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण

डॉ. अबधेश कुमार निरंजन*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध-पत्र भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व एवं सशक्तिकरण का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन को संस्थागत एवं संवैधानिक आधार प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सत्ता के विकेंद्रीकरण, जनभागीदारी तथा स्थानीय स्तर पर निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने के पश्चात स्थानीय शासन में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण आधार निर्मित हुआ।

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति, स्तर एवं प्रभाव का विश्लेषण करना तथा स्थानीय शासन की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी वास्तविक एवं प्रभावी भूमिका का मूल्यांकन करना है। अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि जनजातीय महिलाओं का निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय शासन में प्रवेश किस प्रकार उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण को प्रभावित करता है। साथ ही, यह अध्ययन उन प्रमुख चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करता है जो जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं।

शब्द कुंजी – जनजातीय महिलाओं, सशक्तिकरण, पंचायती राज।

प्रस्तावना – पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा सहभागी शासन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहकर उन्हें निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रभावी भूमिका प्रदान करने से संबंधित है। जनजातीय महिलाओं की सक्रिय एवं सार्थक भागीदारी स्थानीय स्तर पर विकास की प्राथमिकताओं को अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं जन-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। भारत में जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का ऐतिहासिक विकास अनेक परिवर्तनों, चुनौतियों एवं संघर्षों से प्रभावित रहा है। वैश्वीकरण, तीव्र आर्थिक परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव, विस्थापन तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण अनेक जनजातीय समुदाय आज भी विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, तथापि अनेक क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तथा सीमित आर्थिक अवसर जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। जनजातीय क्षेत्रों के विकास की अवधारणा केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय आयामों का समन्वित समावेश आवश्यक है। विकास की प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक पहचान, संस्कृति, ज्ञान-परंपरा, सामाजिक संस्थाओं तथा विशिष्ट जीवन-पद्धति का संरक्षण करते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास, रोजगार तथा आर्थिक अवसरों तक समान एवं सम्मानजनक पहुँच प्रदान करना आवश्यक है। इस दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सतत एवं सहभागी विकास दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जा सकता है, जिसमें स्थानीय समुदायों को विकास की योजना बनाने, क्रियान्वयन एवं निगरानी की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी तथा निर्णय-निर्माण में समुदाय की भूमिका को सुदृढ़ करना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं एवं वंचित समुदायों को स्थानीय शासन में समान अवसर और प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इस संदर्भ में जनजातीय महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

ऐतिहासिक रूप से जनजातीय महिलाओं को परिवार एवं समुदाय दोनों स्तरों पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं लैंगिक असमानताओं का सामना करना पड़ा है। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ, शिक्षा एवं आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुँच, सामाजिक रूढ़ियाँ, राजनीतिक जागरूकता का अभाव तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में सीमित सहभागिता जैसी बाधाओं ने उनकी सार्वजनिक एवं राजनीतिक भूमिका को प्रभावित किया है।

परिणामस्वरूप, लंबे समय तक जनजातीय महिलाएँ स्थानीय शासन की निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व रखती रही हैं। इस स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया तथा महिलाओं एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व और आरक्षण की व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया। इस व्यवस्था ने जनजातीय महिलाओं के लिए स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में प्रवेश के नए अवसर सृजित किए। आरक्षण ने न केवल उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि की, बल्कि उन्हें सार्वजनिक जीवन, नेतृत्व एवं स्थानीय निर्णय-निर्माण में अपनी भूमिका स्थापित करने का अवसर भी प्रदान किया। पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा आजीविका जैसे मुद्दों को स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किए जाने की संभावना अधिक होती है। इससे स्थानीय विकास योजनाओं में महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सकता है। इस प्रकार जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी स्थानीय शासन को अधिक लैंगिक-संवेदनशील, उत्तरदायी एवं सहभागी बनाने में योगदान देती है। जनजातीय महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण है। निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, राजनीतिक जागरूकता तथा सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति समझ विकसित होती है। पंचायत की बैठकों, ग्राम सभाओं तथा विकास योजनाओं में सक्रिय सहभागिता उन्हें अपने समुदाय की समस्याओं को संस्थागत मंचों पर प्रस्तुत करने और उनके समाधान के लिए प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर देती है। इस प्रकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन सकता है।

अत: पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी को केवल संवैधानिक आरक्षण अथवा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मानव विकास तथा सतत ग्रामीण विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। जनजातीय महिलाओं की सक्रिय एवं सार्थक भागीदारी स्थानीय शासन को अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंतत: यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में वास्तविक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की स्थापना तभी संभव है जब जनजातीय महिलाओं को केवल निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण की सक्रिय भागीदार, नीति-निर्माण की हितधारक और स्थानीय विकास की नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया जाए। उनकी राजनीतिक भागीदारी को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना तथा उन्हें पर्याप्त अधिकार, संसाधन, प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग प्रदान करना समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

शोध का उद्देश्य:

1. जनजातीय महिलाओं की पंचायती चुनाव में भागीदारी का अध्ययन करना।
2. पंचायत राज व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण का दृष्टिकोण जानना।

साहित्य की समीक्षा – इस अध्ययन में प्रस्तुत साहित्य समीक्षा ग्रामीण शासन में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालती है। मौजूदा शोध और अध्ययनों की जांच के माध्यम से जनजातीय महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और भविष्य में सुधार के लिए क्या आवश्यक है यह शोध किया गया है। महिलाओं के समावेश को बढ़ावा देने और उन्हें निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करके पंचायती राज में ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।

1. मिलोन्स जे. एस. (2020),के अनुसार ऐसी सरकार ही सामाजिक राज्य की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय एवं सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो। इस दृष्टि से महिलाओं की राजनीतिक एवं सामाजिक सहभागिता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि महिलाएँ समाज की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अत: किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता और समावेशिता का आकलन महिलाओं की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व के आधार पर भी किया जाना आवश्यक है।
2. शर्मा पूजा (2015),के अनुसार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण शासन एवं विकास की आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करती है, वहाँ राष्ट्रीय विकास की वास्तविक आधारशिला स्थानीय स्तर के विकास में निहित है। पंचायती स्तर को विकास की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी माना जा सकता है, क्योंकि इसी स्तर पर ग्रामीण जनता की सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पहचान तथा उनका समाधान सुनिश्चित किया जाता है। अत: यदि पंचायत स्तर पर योजनाबद्ध, समावेशी एवं प्रभावी विकास सुनिश्चित किया जाए, तो उसका सकारात्मक प्रभाव क्रमश: जिला, राज्य और अंतत: राष्ट्रीय स्तर के विकास पर परिलक्षित होता है।
3. सिंह बिन्दु (2014),ने अपने शोध में यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् इन संस्थाओं को प्रदत्ता अधिकारों, दायित्वों एवं वित्तीय संसाधनों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज संस्थाओं को केवल संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से देशभर में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता एवं संस्थागत सुदृढ़ता स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
4. बर्थवाल सी.पी. (2003),ने अपने अध्ययन में भारतीय संदर्भ में सुशासन की प्रासंगिकता तथा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सुशासन की स्थापना, वैश्वीकरण के संदर्भ में सुशासन की बदलती भूमिका, लोकतंत्र एवं सुशासन के अंतर्संबंध तथा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में सुशासन की भूमिका का विश्लेषण किया है। इस प्रकार, बर्थवाल का अध्ययन सुशासन को प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व, जनभागीदारी एवं मानवाधिकारों की सुनिश्चितता से जोड़ते हुए व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
5. कौर जसप्रीत (2006),ने अपने प्रस्तुत लेख में सुशासन की महत्ता

को रेखांकित करते हुए शासन–व्यवस्था और नागरिकों की आवश्यकताओं के बीच अंतर्संबंध का विश्लेषण किया है। लेख में वैश्वीकरण और लोकतंत्र के मध्य विद्यमान संबंधों को समझने का प्रयास किया गया है। लेखक के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन प्रमुख आधारकृ सरकार, व्यावसायिक समुदाय तथा नागरिक समाजकृहैं, जिनकी सक्रिय एवं समन्वित सहभागिता लोकतांत्रिक शासन को प्रभावी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

6. बारेठ रूप सिंह (2004),ने अपने लेख में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उभरती हुई पंचायत चुनाव व्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। लेखकों ने विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में पंचायती राज व्यवस्था एवं पंचायत चुनावों के राजनीतिक, सामाजिक तथा विकासात्मक प्रभावों का व्यापक अध्ययन करने का प्रयास किया है। साथ ही, इक्कीसवीं शताब्दी में बदलते सामाजिक–राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में पंचायत चुनाव व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों, संभावनाओं तथा उनकी प्रासंगिकता का भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में पंचायत चुनाव किस प्रकार स्थानीय जनभागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व एवं ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

शोध विधि– यह शोध–पत्र पूर्णत: द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन हेतु द्वितीयक आँकड़ों एवं प्रासंगिक सामग्री का संकलन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, शोध–पत्रिकाओं, अकादमिक जर्नल्स, विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध डेटाबेस में उपलब्ध साहित्य, समाचार–पत्रों में प्रकाशित लेखों तथा अन्य विश्वसनीय एवं प्रासंगिक प्रकाशनों से किया गया है। शोध–पत्र को विषय की प्रकृति एवं अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में पंचायती राज व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय भाग में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित जनजातीय महिलाओं के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों एवं उनकी उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है। शोध–पत्र के अंतिम भाग में जनजातीय महिलाओं के समग्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

पंचायती राज में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण– पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण तथा अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था है। इसका मूल उद्देश्य सत्ता, प्रशासन एवं निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करते हुए शासन को जमीनी स्तर तक पहुँचाना तथा स्थानीय समुदायों को विकास एवं प्रशासन की प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाना है। इस दृष्टि से पंचायती राज संस्थाएँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में स्थापित हुई हैं। पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख उपलब्धियों में स्थानीय शासन में महिलाओं, विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं, की बढ़ती राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी उल्लेखनीय है। पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व भारतीय लोकतंत्र में समावेशी एवं सहभागी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तथापि, केवल राजनीतिक आरक्षण प्रदान करना ही वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जनजातीय महिला प्रतिनिधियों की प्रभावी एवं स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, राजनीतिक एवं कानूनी जागरूकता, नेतृत्व विकास, क्षमता निर्माण, आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक समर्थन को समान रूप से सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। साथ ही, पारंपरिक लैंगिक एवं सामाजिक बाधाओं को कम करने तथा पंचायत स्तर पर महिलाओं की निर्णय–निर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए संस्थागत एवं सामुदायिक स्तर पर निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। अत: पंचायती राज में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी को केवल प्रतिनिधित्व के आँकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक निर्णय–निर्माण क्षमता, राजनीतिक स्वायत्तता, नेतृत्व प्रभाव, सामाजिक स्वीकृति तथा विकासात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय योगदान के संदर्भ में समझना अधिक उपयुक्त होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो सकती है।

पंचायती राज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके प्रभावी संचालन में जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षमता निर्माण से आशय निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना है, ताकि वे स्थानीय शासन की वर्तमान एवं भावी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। पंचायती राज के संदर्भ में क्षमता निर्माण के माध्यम से जनजातीय महिला प्रतिनिधियों को नीति निर्माण, बजट प्रबंधन, परियोजना क्रियान्वयन, प्रशासन, संघर्ष समाधान तथा निर्णय–निर्माण में दक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही, सामुदायिक सहभागिता, जन–संवाद और सहमति निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण उनकी प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, जनजातीय महिलाओं का क्षमता निर्माण न केवल उनके राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाता है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं में समावेशी, सहभागी एवं उत्तरदायी स्थानीय शासन को भी सुदृढ़ करता है। पंचायती राज मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास हेतु विभिन्न पहलें इसी उद्देश्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

पंचायती राज स्थानीय शासन की एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं निर्णय–निर्माण में प्रतिनिधित्व के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं, के राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, उनके समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों, उपलब्धियों तथा स्थानीय शासन में उनकी भावी भूमिका का विश्लेषण करना है।

चुनौतियाँ– मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की प्रभावी एवं सक्रिय भागीदारी के समक्ष अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आर्थिक बाधाएँ विद्यमान हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी राज्य के अनेक ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गहराई से प्रभावी है,

जिसके कारण कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में स्वतंत्र और प्रभावशाली भूमिका सीमित रहती है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदंड, लैंगिक रूढ़िवादिता तथा महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं से संबंधित धारणाएँ उनके राजनीतिक नेतृत्व एवं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय सहभागिता को प्रभावित करती हैं। शिक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी प्रकार, आर्थिक संसाधनों एवं सूचना-प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच उनकी स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। आर्थिक निर्भरता, वित्तीय संसाधनों की कमी तथा डिजिटल एवं सूचना संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच के कारण वे विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायत संबंधी निर्णयों में अपेक्षित भूमिका निभाने में कठिनाई अनुभव करती हैं। इसके साथ ही, सामाजिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह जनजातीय महिलाओं को पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने तथा सार्वजनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं। अत: जनजातीय महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण के लिए केवल संवैधानिक आरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिकदृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन को समान रूप से बढ़ावा देना आवश्यक है।

उपलब्धियाँ- मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से जनजातीय महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस संवैधानिक एवं संस्थागत व्यवस्था ने जनजातीय महिलाओं को स्थानीय शासन की निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा अपने समुदायों की सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। जनजातीय महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी के परिणामस्वरूप मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे लैंगिक एवं समुदाय-विशिष्ट मुद्दों को स्थानीय विकास के एजेंडे में अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता प्राप्त हुई है। निर्णय-निर्माण में उनके व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक परिस्थितियों एवं स्थानीय समस्याओं से संबंधित अंतर्दृष्टि ने ऐसी नीतियों एवं विकासात्मक योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन को अधिक समावेशी एवं आवश्यकता-आधारित बनाने में योगदान दिया है। विभिन्न अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की प्रभावी भागीदारी से संसाधनों के अपेक्षाकृत बेहतर उपयोग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान तथा समुदायों में सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित जनजातीय महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका ने स्थानीय स्तर पर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना के विकास को भी प्रोत्साहित किया है। पंचायतों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत ये महिलाएँ अन्य जनजातीय महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत एवं रोल मॉडल के रूप में उभर रही हैं, जिससे सामाजिक रूढ़ियों एवं पारंपरिक बाधाओं को चुनौती देने तथा महिलाओं को नेतृत्व एवं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को बल मिला है। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संख्या में वृद्धि तक सीमित न होकर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण तथा समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है।

निष्कर्ष - पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन की आधारभूत इकाई है। इस व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। जनजातीय महिलाएँ भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, किंतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक संसाधनों तथा निर्णय-निर्माण के सीमित अवसरों जैसी अनेक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करती हैं। मध्यप्रदेश में जनजातीय समुदाय राज्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण अंग हैं। जनजातीय महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएँ संचालित हैं, किंतु इन योजनाओं का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण एवं संस्थागत सहयोग आवश्यक है। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित जनजातीय महिला प्रतिनिधियों को पंचायत प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, सरकारी योजनाओं तथा नेतृत्व एवं निर्णय-निर्माण का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर जनजातीय महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं स्थानीय विकास से संबंधित मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। इससे न केवल महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि स्थानीय शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। अत: पंचायती राज व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं की सार्थक भागीदारी को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं, बल्कि समावेशी लोकतंत्र, स्थानीय विकास और व्यापक राष्ट्रीय प्रगति की महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में देखा जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. देसाई, एस., और चक्रवर्ती, एस. (2017) स्थानीय शासन में लिंग आधारित महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रभाव: महाराष्ट्र, भारत से साक्ष्य। विश्व विकास।
2. मणि, एम., मित्रा, ए., और रॉय, एस. (2016) भारतीय राज्यों में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण। विश्व विकास, 77, 79-93।
3. नारायण, डी., पटेल, आर., शैफ्ट, के., रेडमेकर, ए., और कोच-शुल्टे, एस. (2000) गरीबों की आवाज: क्या कोई हमें सुन सकता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. राव, वी. (2006) महिला अधिकारों की राजनीति: पार्टियाँ, स्थितियाँ और बदलाव।
5. सरीन, एम. (2016) लिंग और शासन: ग्रामीण भारत से अंतर्दृष्टि।
6. शाह, गीता. (2011). राजनीतिक और चुनावी भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना: क्षमता निर्माण का एक दृष्टिकोण. जर्नल ऑफ इंटरनेशनल विमेंस स्टडीज।
7. वर्मा, एस., रानी, जी., और सक्सेना, एस. (2016). भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर आरक्षण नीति का प्रभाव: हिमाचल प्रदेश में ग्राम परिषद चुनावों का एक अध्ययन 213-231।
8. अब्दुल समीर पीएम, 'पंचायती राज संस्थाओं में उनकी भागीदारी के

माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: केरल के मलप्पुरम जिले का एक केस स्टडी', यूजीसी माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, दिसंबर, 2017 ।

9. जसप्रीत कौर सोनी, ग्लोबलाइजेशन: ब्रिजिंग डिवाइड बिटवीन सिविल सोसाइटी एण्ड गुड गवर्नेंस, दी इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस दी इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, मेरठ, वॉल्यूम नं.-2, अप्रैल-जून, पृ.सं. 279-283, 2006 ।
10. रूप सिंह बारेठ, गुड गवर्नेंस ग्लोबलाइजेशन एण्ड सिविल सोसाइटी, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, 2004 ।
11. सी.पी. बर्थवाल, गुड गवर्नेंस इन इंडिया, दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003।

****